**भारत सरकार**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1054**

**बुधवार, 29 जुलाई, 2015/ 7 श्रावण, 1937 (शक)**

**बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन**

**1054. श्री विवेक गुप्ता:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में बाल श्रमिकों के शोषण की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान बाल श्रमिकों के शोषण के ‎विरुद्ध प्राप्त हुई कुल शिकायतों तथा बाल श्रम अ‎धिनियम के उल्लंघन के पंजीकृत मामलों की कुल राज्य-वार संख्या क्या है तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) बाल श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए और बाल श्रम कानूनों के उल्लंघन के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कड़े उपाय किए गए हैं/किए जाने प्रस्तावित हैं? ‎

**उत्तर**

**श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री बंडारु दत्तात्रेय)**

(क) और (ख): बाल श्रम की समस्या के स्वरुप पर ‎विचार करते हुए, सरकार देश में बाल श्रम के उन्मूलन हेतु बहुसूत्री कार्यनी‎ति अपना रही है। बाल श्रम (प्र‎तिषेध एवं ‎विनियमन) अ‎धिनियम, 1986 में क‎तिपय व्यवसायों एवं प्र‎क्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का ‎नियोजन प्र‎ति‎षिद्ध है। सरकार 1988 से राष्ट्रीय बाल श्रम प‎रियोजना (एनसीएलपी) स्कीम भी कार्या‎न्वित करती आ रही है ‎जिसके तहत प्र‎ति‎षिद्ध ‎नियोजन से हटाए गए बच्चों का पुनर्वास ‎किया जाता है।

(ग) और (घ): ‎वि‎भिन्न राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार, बाल श्रम (प्र‎तिषेध एवं ‎विनियमन) अ‎धिनियम, 1986 के अंतर्गत ‎पिछले तीन वर्षों के दौरान पता लगाए गए उल्लंघनों, शुरु ‎किए गए अ‎भियोजनों, की गई दोष‎‎‎सिद्धियों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध में है। इसके अलावा, बाल श्रम (प्र‎तिषेध एवं ‎विनियमन) अ‎धिनियम, 1986 को संशो‎घित करने संबंधी एक ‎विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत ‎किया गया है, और अ‎धिनियम के उल्लंघन में बच्चों को ‎नियो‎जित करने के ‎लिए अ‎धिनियम में ‎निर्धा‎रित दंडों को बढ़ाया गया है और अ‎धिक कड़ा बनाया गया है। इस ‎विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ 14 वर्ष आयु के बच्चों के ‎नियोजन पर पूर्ण प्र‎तिषेध शा‎मिल ‎किया गया है और प्र‎तिषेध के आयु को अ‎निवार्य एवं ‎नि:शुल्क बाल ‎‎शिक्षा अ‎धिकार अ‎धिनियम, 2009 के तहत आयु से जोड़ ‎दिया गया है।

\*\*\*\*\*

\*

**अनुबंध**

‎**दिनांक 29.07.2015 को उत्तर के ‎लिए ‎नियत राज्य सभा अतारां‎कित प्रश्न संख्या 1054 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संद‎र्भित अनुबंध**

**‎**

**पिछले तीन वर्षों के दौरान पता बाल श्रम (प्र‎तिषेध एवं ‎विनियमन) अ‎धिनियम के अंतर्गत लगाए गए उल्लंघनों, शुरु ‎किए गए अ‎भियोजनों, की गई दोष‎‎‎सिद्धियों का राज्यवार ब्यौरा#**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र** | **उल्लंघनों की संख्या** | | | **अ‎‎भियोजन की संख्या** | | | | **दोष‎‎‎सिद्धि की संख्या** | | |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| अंडमान और निकोवार ‎द्विपसमूह | 0 | 0 | एनए | 0 | | 0 | एनए | 0 | 0 | एनए |
| आंध्र प्रदेश ‎ | 3052 | 2077 | एनए | 1673 | | 2077 | एनए | 27 | 13 | एनए |
| अरुणाचल प्रदेश | एनए | एनए | एनए | 0 | | एनए | एनए | 0 | एनए | एनए |
| असम | 306 | 322 | 38 | 129 | | 119 | 10 | 11 | 0 | 0 |
| बिहार | एनए | एनए | एनए | 716 | | 698 | 188 | 177 | | |
| चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र | 38 | 85 | 17 | 24 | | 53 | 17 | 8 | 15 | 23 |
| छत्तीसगढ़ | 18 | 69 | 90 | 28 | | 28 | 110 | 4 | 4 | 1 |
| दादर एवं नागर हवेली | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र | 6174 | 5708 | 31 | 277 | | 149 | 31 | 62 | 0 | एनए |
| गोवा | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| गुजरात | 404 | 309 | 72 | 273 | | 210 | 42 | 34 | 17 | 0 |
| ह‎रियाणा | 125 | 54 | 35 | 105 | | 79 | 74 | 100 | 123 | 74 |
| हिमाचल प्रदेश | 7 | 6 | 8 | 2 | | 15 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| जम्मू एवं कश्मीर | 24 | 22 | 8 | 27 | | 22 | 28 | 2 | 13 | 14 |
| झारखंड | 127 | 45 | 38 | 64 | | 36 | 21 | 5 | 3 | 2 |
| कर्नाटक | 177 | 153 | 90 | 163 | | 153 | 90 | 42 | 41 | 35 |
| केरल | 3 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मध्य प्रदेश | 902 | 153 | 96 | 902 | | 153 | 96 | 39 | 21 | 19 |
| महाराष्ट्र | 84 | एनए | एनए | 125 | | एनए | एनए | 5 | एनए | एनए |
| मणिपुर | 2 | एनए | एनए | 2 | | एनए | एनए | 2 | एनए | एनए |
| मेघालय | 8 | 30 | 7 | 8 | | 30 | 7 | 3 | 4 | 10 |
| मिजोरम | 0 | 0 | एनए | 0 | | 0 |  | 0 | 0 | एनए |
| नागालैंड | एनए | एनए | एनए | 0 | | एनए | एनए | 0 | एनए | एनए |
| ओडिशा | 149 | 208 | 116 | 34 | | 45 | 13 | 0 | 0 | एनए |
| पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| पंजाब | 683 | 711 | 485 | 683 | | 711 | 485 | 551 | 616 | 362 |
| राजस्थान | 66 | 15 | 15 | 21 | | 15 | 17 | 25 | 4 | एनए |
| सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| तमिलनाडु | 13 | 53 | 13 | 9 | | 26 | 10 | 26 | 13 | 1 |
| त्रिपुरा | 0 | 0 |  | 0 | | 0 |  | 0 | 0 | एनए |
| उत्तर प्रदेश | 64 | 49 | 93 | 64 | | 49 | 93 | 245 | 211 | 504 |
| उत्तराखंड | 38 | 9 | 34 | 11 | | 24 | 8 | 1 | 10 | 1 |
| पश्चिम बंगाल | 92 | एनए | एनए | 29 | | एनए | एनए | 1 | एनए | एनए |
| तेलंगाना | 880 | 841 | 372 | 52 | | 115 | 108 | एनए | एनए | 50 |
| **एनए: उपलब्ध नहीं**  **# संबं‎धित राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसा** | | | | |

**एनए: उपलब्ध नहीं**